न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/148/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री विजयसिंह मीना ग्राम–सैमला, पोस्ट–हसनपुर, तहसील–लक्ष्मणगढ (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि : 26.07.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 23.08.2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 02.05.18 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के रिट पिटीशन संख्या 7298/2017 में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत की प्रति उपलब्ध कराने की वांछा प्रत्यर्थी से की गई थी।
5. आवेदक द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 02.05.18 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 25.07.2018 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं प्रथक से शिकायत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः आर.टी.आई./18/1650–51 दिनांकः 14.08.2018 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में व शिकायत प्रा0पत्र में वर्णित तथ्य एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 02.05.18 पर प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् विनिश्चय कर इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी को प्रति प्रेषित की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है।
9. विलम्ब से प्रत्यर्थी द्वारा विनिश्चय किये जाने के कारण अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
10. उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला–अलवर को इसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आवेदकों द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों पर अविलम्ब विनिश्चय कर सूचित करें।
11. उक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपील/प्रथम आवेदन के बिन्दु सं. 01 में वांछित "श्री विजयसिंह मीना द्वारा वर्ष 2004 में माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. लक्ष्मणगढ (अलवर) की गई शिकायत की प्रति" संबंधित माननीय न्यायालय में उक्त अधिनियम अंतर्गत पृथक से नियमानुसार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करे।
12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
13. निर्णय घोषित ।

(ओ. पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)